

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इंदौर निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 93/2019

निर्णय दिनांक - 31.05.2019

1. आशाराम पिता हजारीलाल जाट उम्र 40 वर्ष निवासी इशाकपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. नर्बदा बाई बेवा स्व0 मंगनीराम जाट उम्र 80 वर्ष निवासी इशाकपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. हजारीलाल पिता गंगाराम जाट उम्र 70 वर्ष निवासी इशाकपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. भागीरथ पिता गंगाराम जी जाट उम्र 60 साल निवासी इशक्काबाद, तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. मंगीलाल पिता नारायण जी माली उम्र 70 साल निवासी विस्तार कॉलोनी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. रामसिंह पिता हजारीलाल जी जाट उम्र वयस्क निवासी इशक्काबाद तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा ईशाकपुरा पटवार हल्का निम्बाहेडा बी तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थी की खाता संख्या 301 की आराजी नं0 18 रकबा 2.3800 हैक्टेयर व आराजी नं0 195 रकबा 0.9600 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1200/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा ईशाकपुरा पटवार हल्का निम्बाहेडा बी, तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थी की खाता संख्या 301 की आराजी नं0 18 रकबा 2.3800 हैक्टेयर व आराजी नं0 195 रकबा 0.9600 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

